न्यायालय– अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :– 27/2021
CIS No. :– TS/27/2021

रामजी चौधरी एवं अन्य बनाम **राजदेव चौधरी एवं अन्य**

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
09.12.2021	अभिलेख पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या–9 द्वारा विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 ता 8 अनुपस्थित। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक कथन किया गया कि जरिये नजारत सम्मन तामीला के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या–1 ता 8 न्यायालय उपस्थित नहीं आये। वाद के अग्रसारण के लिए अनुपस्थित प्रतिवादी संख्या–1 ता 8 पर नोटिस/ सम्मन का तामीला जरिये नजारत सम्मन माने जाने हेतु याचना की गयी है। सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रतिवादी सं०–1 राजदेव चौधरी, प्रतिवादी सं०–2 अमरलाल चौधरी, प्रतिवादी सं०–3 जनक चौधरी, प्रतिवादी सं०–4 हरेन्द्र चौधरी, प्रतिवादी सं०–6 गणेश साह गोड़ एवं प्रतिवादी सं०–8 नन्दू चौधरी ने नजारत सम्मन प्राप्त करके अपना–अपना हस्ताक्षर व निशान बनाया है। अतएव प्रतिवादी सं०–1 राजदेव चौधरी, प्रतिवादी सं०–2 अमरलाल चौधरी, प्रतिवादी सं०–3 जनक चौधरी, प्रतिवादी सं०–4 हरेन्द्र चौधरी, प्रतिवादी सं०–6 गणेश साह गोड़ एवं प्रतिवादी सं०–8 नन्दू चौधरी पर नजारत सम्मन तामीला पर्याप्त है। अत: जरिये नजारत सम्मन प्रतिवादी सं०–1 राजदेव चौधरी, प्रतिवादी सं०–2 अमरलाल चौधरी, प्रतिवादी सं०–3 जनक चौधरी, प्रतिवादी सं०–4 हरेन्द्र चौधरी, प्रतिवादी सं०–6 गणेश साह गोड़ एवं प्रतिवादी सं०–8 नन्दू चौधरी पर नोटिस/सम्मन की तामीला पर्याप्त मानी जाती है। परन्तु प्रतिवादी सं०–5 रीखदेव पटेल एवं प्रतिवादी सं०–7 किशुन चौधरी पर जरिये नजारत सम्मन तामीला पर्याप्त नहीं है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी सं०–5 रीखदेव पटेल एवं प्रतिवादी सं०–7 किशुन चौधरी पर सम्मन का तामिला द्वारा रजिस्ट्री किया जाना आवश्यक है। अत: वादी को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी सं०–5 रीखदेव पटेल एवं प्रतिवादी सं०–7 किशुन चौधरी पर रजिस्ट्री सम्मन की तामीला हेतु पैरवी एक सप्ताह के अन्दर करे। तत्पश्चात कार्यालय जांचोपरांत रजिस्ट्री सम्मन निर्गत	

	करें। वादीगण द्वारा आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आवेदन पत्र आज दाखिल किया गया है। प्रतिवादी संख्या–9 द्वारा आज बयान तहरीरी दाखिल किया गया है। अभिलेख वास्ते प्रतिवादी सं०–5 व 7 की उपस्थिति व वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन पर प्रतियुत्तर एवं प्रतिवादी संख्या–9 द्वारा दाखिल बयान तहरीरी के ग्रहण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक–07.01.2022 को पेश हो। अवर न्यायाधीश तृतीय न्यायालय कक्ष–4, नरकटियागंज।	